न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय, जिला केकड़ी

(पीठासीन अधिकारी गुरू प्रसाद तंवर) आर.ए.एस

प्रकरण सं./प्रार्थना पत्र/एल.आर./57/2024

1. आशा देवी आचार्य पत्नी श्री प्रकाश चन्द आचार्य जाति आचार्य निवास भिनाय तहसील भिनाय जिला केकड़ी

प्रार्थीयां

बनाम

1. भंवरलाल पुत्र श्री नन्दराम जाति तेली निवासी भिनाय तहसील भिनाय जिला केकड़ी
2. मंगलचन्द पुत्र श्री नन्दराम जाति तेली निवासी भिनाय तहसील भिनाय जिला केकड़ी(विलोपित)
3. लाला पुत्र श्री नन्दराम जाति तेली निवासी भिनाय तहसील भिनाय जिला केकड़ी(विलोपित)
4. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय तहसील भिनाय जिला केकड़ी

अप्रार्थीगण

निर्णय अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांकः–14.06.2024

उपस्थित :– 1. वकील प्रार्थी– श्री धर्मवीर बामनिया
2 . पैरोकार सरकार

संक्षिप्त में प्रकरण इस प्रकार है कि मौजा भिनाय पटवार क्षेत्र भिनाय ए भू0अ0नि0 क्षेत्र भिनाय के खाता सं0 162 में दर्ज खसरा नं. 3022 रकबा 0.43 कुल किता 01 कुल रकबा 0.43 हैक्ट जो कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि होने के कारण स्थाई पत्थरगढी कराना चाहता हैं। अप्रार्थीगण सं. 01 लगायत 03 प्रार्थी की कब्जे काश्त भूमि पर नाजायज दखल देने एवं अप्रार्थी सं. 04 सरकार जरिये तहसीलदार भिनाय ने प्रार्थी को पत्थरगढी हेतु न्यायालय का आदेश लाने पर पत्थरगढी करने हेतु कहने के कारण प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया हैं।स

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थीगण एवं पैरोकार सरकार को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण संख्या 01 द्वारा पत्रावली में उपस्थित होकर पथरगढ़ बाबत् अपनी सहमति प्रकट की गई। अधिवक्ता प्रार्थी श्री धर्मवीर बामनिया द्वारा अप्रार्थी संख्या 02 तथा 03 का नाम पत्रावाली से विलोपित करने बाबत् प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 151 सी0पी0सी0 में पैरोकार सरकार द्वारा अनापत्ति प्रकट की गई। उक्त प्रार्थना–पत्र स्वीकार होने से अप्रार्थी संख्या 02 तथा 03 का नाम पत्रावाली से विलोपित किया जाकर संशोधित उनवान स्वीकार किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा पत्रावली में जवाब पेश किया जाकर मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। पत्रावली में अप्रार्थी से जवाब प्राप्त कर पत्रावाली वास्ते बहस नियत की गई। वकील प्रार्थी, अप्रार्थी तथा पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों अनुसार कथन करते हुए प्रार्थना–पत्र धारा 128 रा0भू0अधि0 स्वीकार करने का निवेदन किया। पैरोकार सरकार द्वारा मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड, प्रकरण सही होना स्वीकार किया हैं। उभय पक्षकारान की बहस प्रार्थना पत्र धारा 128

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

...0अधि0 सुनी गई। पत्रावली, जवाब प्रार्थना–पत्र एवं संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थना–पत्र में संलग्न राजस्व जमाबन्दी ग्राम भिनाय के खाता संख्या 162 संवत 2071–2074(वर्ष 2019 में स्थाई) के आधार पर प्रश्नगत आराजी प्रार्थी की स्वयं की खातेदारी भूमि होना पाया गया।

पत्रावली में उपलब्ध राजस्व जमाबन्दीयों, दस्तावेजों के अवलोकन तथा बहस पत्रावली के मनन उपरान्त प्रार्थीयां का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाकर **मौजा भिनाय पटवार क्षेत्र भिनाय ए भू0अ0नि0 क्षेत्र भिनाय के खाता सं0 162 में दर्ज खसरा नं. 3022 रकबा 0.43 कुल किता 01 कुल रकबा 0.43 हैक्ट** हेतू नायब तहसीलदार भिनाय को 500/– रू(एक हजार रू) की मौका कमीशनर फीस पर मौका कमीशनर नियुक्त कर आदेशित किया जाता है कि सभी पड़ौसी खातेदारों को पूर्व सूचना देने के उपरान्त प्रार्थी उक्त खातेदारी भूमि की पत्थरगढ़ी की कार्यवाही कर, पालना रिपोर्ट प्रेषित करें। पत्रावली फैसल शुमार दर्ज होकर नंबर से कम हो। बाद तामील तकमील होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 14.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास न्यायालय में सुनाया गया।

(गुरू प्रसाद तंवर)
उपखण्ड अधिकारी
भिनाय, केकड़ी

उपखण्ड अधिकारी
भिनाय (केकड़ी)

उपखण्ड अधिकारी भिनाय (केकड़ी) सत्यमेव जयते